रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1877] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 1877] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2015

का.आ. 2412(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) और धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 13 दिसंबर, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

(2) मूल अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 6 के ,--

(i) मद सं. (ख) में, स्तंभ 4 में, "1 अक्तूबर, 2018" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अक्तूबर, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद सं. (ग) में, स्तंभ 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"नए माडल 1 अक्तूबर, 2018 । सभी माडल 1 अक्तूबर, 2020 ।"।

[सं. आरटी-11028/02/2015-एमवीएल]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. का.आ. 1139(अ) तारीख 28 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2015

S.O. 2412(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th December 2004, namely:-

(2) In the principal notification, in the Table, against Sl. No.6,-

(i) in item (b), in column (4), for the figures, letters and word "1st October, 2018", the figures, letters and word "1st October, 2019" shall be substituted;

(ii) in item (c), for the entries in column (4), the following entries shall be substituted, namely:- "New Models – 1st October, 2018. All Models – 1st October, 2020.".

[No. RT-11028/02/2015-MVL]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India. Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 1365(E) dated the 13th December, 2004 and lastly amended vide notification number S.O. 1139(E) dated the 28th April 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.